छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

तृतीय विधान सभा द्वादश सत्र अंक-21

रायपुर, सोमवार, दिनांक 18 मार्च, 2013

(फाल्गुन-27, शक संवत 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1.प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 09, 11 से 14 (कुल 13) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्न संख्या 07 पर शासन की ओर से पूर्ण जानकारी नहीं आने पर माननीय अध्यक्ष द्वारा इसे आगामी तिथि के लिए स्थगित किया गया एवं माननीय मंत्री गणों को निर्देशित किया कि जवाब देने हेतु वे पूरी तैयारी से आयें।

प्रश्न संख्या 10 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर अनुपस्थित रहीं।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 02 तारांकित एवं 26 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 09 पर चर्चा के दौरान श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री विक्रम उसेंडी, वन मंत्री ने कंपनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 619-ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2011-2012 **पटल पर रखा।**

4. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने कार्यमंत्रणा समिति की बैठक शुक्रवार, दिनांक 15 मार्च, 2013 की निम्नांकित सिफारिशों से सदन को अवगत कराया :-

समिति द्वारा निम्नलिखित विधेयकों पर चर्चा के लिए उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित किया गया :-

शासकीय विधि विषयक कार्य		**समय**
1. छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2013	-	15 मिनट
2. छत्तीसगढ़ विधान मंडल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2013	-	15 मिनट
3. छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2013	-	15 मिनट
4. छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2013	-	15 मिनट
5. छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013	-	15 मिनट
6. छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षण के अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2013	-	30 मिनट
7. छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) विधेयक, 2013	-	1 घंटा
8. दण्ड विधि (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2013	-	1 घंटा
9. छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2013	-	30 मिनट
10. अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय विधेयक, 2013	-	1 घंटा

श्री युद्धवीर सिंह जूदेव, संसदीय सचिव ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है ।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

5. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि -

(1) आज सोमवार, दिनांक 18 मार्च, 2013 को छत्तीसगढ़ विधान सभा के माननीय सदस्यों हेतु हास्य कवि सम्मेलन का कार्यक्रम रात्रि 8.00 बजे से विधान सभा परिसर स्थित डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी प्रेक्षागृह में आयोजित है। आप सभी सदस्य एवं पत्रकार गण आमंत्रित हैं।

(2) तृतीय विधान सभा के माननीय सदस्य जिन्हें विगत सत्र में गृह निर्माण मंडल द्वारा भवन हेतु भूमि का आबंटन हुआ है, के लिए समिति कक्ष क्रमांक 03 में आज आवश्यक पूर्तियों हेतु गृह निर्माण मंडल एवं बैंक के अधिकारी उपलब्ध रहेंगे। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया आज ही आबंटन के पश्चात् की कार्यवाही पूर्ण कर लें।

6. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री संतोष बाफना, सदस्य ने प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में प्रयोगशाला परिचारकों एवं तकनीशियनों की भर्ती में अनियमितता किये जाने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री भईयालाल राजवाड़े, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) सर्वश्री भोलाराम साहू, शिवराज सिंह उसारे, (रामदयाल उइके-अनुपस्थित), सदस्य ने राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा तेंदूपत्ता नीलामी में अनियमितता किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री विक्रम उसेंडी, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

7. बहिर्गमन

चर्चा के दौरान श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

8. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार नियम 267-क (2) को शिथिल कर निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री मोहम्मद अकबर
(2) श्री दूजराम बौद्ध
(3) श्री रामदेव राम
(4) श्री अग्नि चंद्राकर
(5) श्री भोलाराम साहू
(6) श्री भजन सिंह निरंकारी
(7) श्री सौरभ सिंह
(8) डॉ.शिवकुमार डहरिया
(9) श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह
(10) श्री बैदूराम कश्यप
(11) श्री धर्मजीत सिंह
(12) श्री नंद कुमार पटेल
(13) श्री लेखराम साहू
(14) श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर

9. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री विरेन्द्र कुमार साहू, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का (सदन द्वारा पारित अशासकीय संकल्पों पर कार्यवाही संबंधी) अष्टम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 4 सन् 2013)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 4 सन् 2013) पुरःस्थापित किया।

(2) छत्तीसगढ़ विधान मंडल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ विधान मंडल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) पुरःस्थापित किया।

(3) छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 6 सन् 2013)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 6 सन् 2013) पुरःस्थापित किया।

(4) छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 7 सन् 2013)

श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 7 सन् 2013) पुरःस्थापित किया।

(5) छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षण के अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 8 सन् 2013)

श्री रामविचार नेताम, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षण के अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 8 सन् 2013) पुरःस्थापित किया।

(6) छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 9 सन् 2013)

श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 9 सन् 2013) पुर:स्थापित किया।

11.वर्ष 2013-2014 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

माननीय मुख्यमंत्री के विभागों की अनुदान मांगों की पुनर्ग्रहित चर्चा में श्री देवजी पटेल सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर देना प्रारंभ किया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा कार्य प्रक्रिया एवं कार्यसंचालन नियमावली के नियम 153 के उप नियम (2) के अनुसार सभी विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा पूर्ण होकर, वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक से संबंधित विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन आज अपराह्न 4.00 बजे तक किया जाना निर्धारित है। चूंकि अभी माननीय मुख्यमंत्री की अनुदान मागों पर चर्चा पूर्ण होना शेष है। अत:नियम 153 के उप नियम (2) को शिथिल करते हुए अनुदान मांगों पर चर्चा पूर्ण होने पर विनियोग विधेयक पुर:स्थापन किया जाए।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2013 (क्रमांक 3 सन् 2013)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2013 (क्रमांक 3 सन् 2013) पुरःस्थापित किया।

सायं 4.09 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनाँक 19 मार्च, 2013 (फाल्गुन, 28 शक संवत् 1934) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा